



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 211

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23—मई 29, 2015 (ज्येष्ठ 2, 1937)

No. 211

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23—MAY 29, 2015 (JYAISTHA 2, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[संविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद—14 दिनांक 17 अप्रैल 2015

सं. यू. 16/53/2003/सेड-11/गुज 37/जी/पी.टी.एम.आर./एस.एम.सी/डी. डी.एम. खालसा पी.टी.एम.आर./27—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दिनांक 25 अप्रैल 2015 का मुंडा वरक में पारित किए गए सफल के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी. एफ.डब्लू. 13/12/13/2005 पी.टी.एम.आर. (सेड-11) दिनांक 04.08.2008 द्वारा वे शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (सी) को मानकों के अनुसार तब परिश्रमिक पर सम्मिलित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व ही, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता सदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयासों के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

डॉक्टर का नाम

अवधि

कर्मचारी का नाम

डॉ. डी. एम. खालसा पी.टी.एम.आर.

3.5.2015 से 2.5.2016

बहादुर साहू गुजरात

कर्मचारी

राज्य चिकित्सा आयुक्त

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2015

स. डीई-87(1)-2015--दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 के खण्ड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा, केन्द्र सरकार की पिछली स्वीकृतियों के साथ, विद्यमान मूल संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियमन, 2007 में, जोकि भारत के राजपत्र के खण्ड 4 के भाग III में, असाधारणतया, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित किया गया था, तदनुसार, निम्न संशोधन किए जाते हैं :--

1. संक्षिप्त नाम एवं शुरुआत :

- (i) इन विनियमनों को संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (सातवां संशोधन) विनियमन, 2015 कहा जा सकता है।
- (ii) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से ये प्रभावी होंगे।

2. संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियमन, 2007 में, निम्नलिखित समामेलन/संशोधन/विलोपन/प्रतिस्थापन, जैसाकि इनमें दिया हुआ है, होंगे :--

3. वर्तमान विनियमनों में, "परिक्षाएं" शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षक "परीक्षा योजना" और उप शीर्षक "1 बी. डी. एस. परीक्षा" के वर्तमान वाक्यांश कि "कोई भी छात्र, यदि बीडीएस की प्रथम वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों को, प्रवेश लेने की तारीख से 3 वर्षों के अंदर उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा।" को

निम्नलिखित वाक्यांश के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि :--

"कोई भी छात्र, जो बीडीएस पाठ्यक्रम के सभी विषयों को, प्रवेश लेने की तारीख से 9 वर्ष की अवधि के अंदर, जिसमें एक वर्ष की अनिवार्य आवर्ती वैतनिक इन्टरनशिप भी शामिल है, उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा।"

एस. के. ओझा
कार्यवाहक सचिव
भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्

पाठ टिप्पणी : "संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम, 2007" शीर्षक वाले मूल विनियमनों को भारत के राजपत्र के खण्ड 4 के भाग III में, असाधारणतया, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित किया गया था और इनमें (i) दिनांक 07.01.2008 (ii) दिनांक 22.10.2010 (iii) दिनांक 25.08.2011 (iv) दिनांक 08.12.2011 (v) दिनांक 31.05.2012 (vi) दिनांक 24.06.2013 की अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन हुए हैं।

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-380014, the 17th April 2015

No. U-16/53/2003/Med. II/(Guj) 37/G/PTMR/SMC/D.M. Khalsa/07—In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt File-U/13/12/13/2005-PTMR-(Med. I) dated 04.08.2008. I hereby authorised the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. The date given below for one year or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Centre	Name of Centre/Place/Distt./State
Dr. Darshansingh M. Khalsa	03.05.2015 to 02-05-2016	Baroda. Gujarat

SANT RAM
State Medical Commissioner

DENTAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 27th April 2015

No.DE-87(1)-2015 – In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing principle Revised BDS Course Regulations, 2007, published in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007:-

1. Short title and commencement:-
 - (i) These Regulations may be called the Revised BDS Course (7th Amendment) Regulations, 2015
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Revised BDS Course Regulations, 2007, the following insertion/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:-
3. In the existing Regulations under heading captioned as "EXAMINATIONS", sub-heading "SCHEME Examinations" and sub-heading "1 B.D.S. Examination:" the existing clause that "Any student who does not clear the 1st year BDS examination in all the subjects within 3 years from the date of admission shall be discharged from the course."

Substituted by the following clause that:-

"Any student who does not clear the BDS Course in all the subjects within a period of 9 years, including one year Compulsory Rotatory paid Internship from the date of admission shall be discharged from the course".

S.K. OJHA
Offg. Secretary
Dental Council of India

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Revised BDS Course Regulations, 2007" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007 and amended vide Notification (i) dated 07.01.2008 (ii) dated 22.10.2010 (iii) dated 25.08.2011 (iv) dated 08.12.2011 (v) dated 31.05.2012 (vi) dated 24.06.2013.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in